संख्या-11/2022/डीएफए/276191/002-38-6002-002-4-2021

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0प्र0, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-6 लखनऊ: दिनांक-30 जून, 2022

विषय-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष-2021-22 हेतु अनुदान सं0-81 (अनुसूचित जनजाति मद) में भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष अवशेष धनराशि वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्वीकृत बजट प्राविधान के सापेक्ष अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के पत्रांक-1634/2758/आजीविका/लेखा/2022-23, दि0-30.05.2022 के संबंध में अवगत कराना है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक-जे-12036/01/2021-आरएल (एनआरएलएम-29सी), दि0-03-08-2021 एवं पत्रांक-जे-12036/01/2021-आरएल(एनआरएलएम-30सी), दि0-31-08-2021 द्वारा वित्तीय वर्ष-2021-22 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत अनुदान सं0-81(अनुसूचित जन जाति मद) में अवमुक्त केन्द्रांश (60 प्रतिशत) एवं उसके सापेक्ष मैचिंग राज्यांश (40 प्रतिशत) कुल धनराशि रू0-29290.8170 लाख में से निर्गत होने हेतु अवशेष धनराशि रू0-21465.7017 लाख (के0-रू0-11839.4290 लाख एवं रा0-रू0-9626.2727 लाख) के सापेक्ष लेखानुदान अवधि के लिए केन्द्रांश रू0-4979.7667 लाख एवं राज्यांश रू0-3319.8333 लाख इस प्रकार कुल धनराशि रू0-8299.6000 लाख शासनादेश सं0-06/2022/डी0एफ0ए0/254199/001-38-6002-002-4-2021 दि0-25-05-2022 द्वारा निर्गत किया जा चुका है। इस प्रकार अनुदान अंतर्गत केन्द्रांश रू0-6859.6623 लाख एवं राज्यांश रू0-6306.4394 लाख, कुल धनराशि रू0-13166.1017 (एक अरब इकतीस करोड छाछठ लाख दस हजार एक सौ सत्तर मात्र) निर्गत किया जाना है।

2. अतएव वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य सरकार द्वारा की गई बजट व्यवस्था में से अनुदान सं0-81 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष-2021-22 की निर्गत होने हेतु अवशेष केन्द्रांश रू0-6859.6623 लाख एवं राज्यांश रू0-6306.4394 लाख, इस प्रकार कुल धनराशि रू0-13166.1017 (एक अरब इकतीस करोड छाछठ लाख दस हजार एक सौ सत्तर मात्र) को अवमुक्त कर आयुक्त, ग्राम्य विकास के निर्वतन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदया निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैः.

1. आंकडों की शुद्धता एवं धनराशि की अनुमन्यता की पुष्टि का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास/मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का होगा।

2. प्रश्नगत प्रस्ताव का परीक्षण बजट की उपलब्धता के आधार पर किया गया है। प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेंशियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

अन्तर्गत राज्य सरकार/ केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।

3. आयुक्त, ग्राम्य विकास/मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा एस0एन0ए0 के इतर रक्षित धनराशि के व्यय के संबंध में भारत सरकार के अद्यतन दिशा-निर्देशों का संज्ञान लिया जायेगा।

4. धनराशि का कोषागार से आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार चरणों में किया जायेगा।

5. धनराशि का आहरण एवं व्यय योजना विषयक गाइड लाइन/दिशा निर्देश तथा इस संबंध में समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाएगा।

6. स्वीकृत की गयी धनराशि के विरूद्ध निर्धारित लक्ष्यों के प्राप्त होने व उसके परीक्षण/सत्यापन सुनिश्चित किये जाने का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास/मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का होगा।

7. स्वीकृत की जा रही धनराशि के नियम संगत व्यय व स्वीकृत धनराशियों के निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास/मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का होगा।

8. स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में रखा जाता है, जिसमें ब्याज अर्जित होता है, तो अर्जित ब्याज के नियमानुसार समायोजन/निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कराने का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास/मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का होगा।

9. स्वीकृत की जा रही धनराशि से यथावश्यकता सामग्री, उपकरण आदि के क्रय हेतु सामग्री क्रय संबंधी संगत शासनादेशों में निर्धारित क्रय प्रक्रिया/व्यवस्थाओं का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

10. धनराशि के आहरण एवं व्यय के संबंध में मितव्ययता संबंधी समय.समय पर निर्गत शासनादेश एवं वित्तीय नियमों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

11. आयुक्त, ग्राम्य विकास/मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है और न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है, अर्थात किसी प्रकार की द्विरावृत्ति न हो।

12. भारत सरकार के पत्र दि0-03-08-2021 एवं दि0-31-08-2021 में अंकित दिशा-निर्देशो/शर्तों का पूर्णत: अनुपालन किया जायेगा।

13. स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दि0-07 जून, 2022 एवं अन्य-संगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

3. इस संबंध में होने वाला व्यय (1) रुपये 68,59,66,230 (रुपये अड़सठ करोड़ उनसठ लाख छियासठ हजार दो सौ तीस मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-2023 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या081 लेखा शीर्षक 2501017960101 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (के.60/रा.40-के.+रा.) मानक मद 27 सब्सिडी (2) रुपये 63,06,43,940 (रुपये त्रेसठ करोड़ छह लाख तैंतालीस हजार नौ

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

सौ चालीस मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-2023 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 081 लेखा शीर्षक 2501017968901 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन मानक मद 27 सब्सिडी के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या ई-2-23-दस-2022-23,दिनांक- 27.6.2022 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय
मनोज कुमार सिंह
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार(सिविल आडिट)- प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- सचिव, भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय (स्किल डिवीजन), नई दिल्ली।
4- निदेशक, कोषागार/मुख्य् कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- मुख्य लेखा परीक्षाधिकारी, सहकारी समितियॉ एवं पंचायतें, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
6- मिशन निदेशक, यूपीएसआरएलएम, गोमती नगर, लखनऊ।
7- अपर आयुक्त, लेखा, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-2/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
9- ग्राम्य विकास अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
हरी राम
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।